

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 29.07.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला भीलवाडा हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- 1- श्री अनिल जैन पुत्र श्री चॉदमल जैन  
माणिक्यनगर, भीलवाडा। अध्यक्ष
- 2- श्री ललित अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद,  
शहीद चौक, सांगानेरी गेट, जिला भीलवाडा। सदस्य
- 3- श्री कैलाश जीनगर पुत्र श्री रामस्वरूप जीनगर  
डी-273, पंचवटी नगर, जिला भीलवाडा। सदस्य
- 4- श्रीमती शिखा नवल जागेटिया पत्नी श्री नवल जागेटिया  
आजाद चौक, भीलवाडा। सदस्य
- 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
मुख्यालय, भीलवाडा। सदस्य सचिव

उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत इस समिति की पदावधि दो वर्ष की होगी।

आज्ञा से,

*Sd-*

(पवन कुमार जैन)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।

*92*  
29/7/2016  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस